न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/2012/सतना

रिव्यू 1-I/13

श्री कुवर सिंह कुशवाह, अभि० द्वारा आज दि. 1-1-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 1-1-13

रामप्रताप सिंह पुत्र जागेश्वर सिंह,
निवासी– ग्राम देवरा, तहसील–मैहर,
जिला–सतना (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र सतभान सिंह
2. शैलेन्द्र सिंह पुत्र सतभान सिंह
3. पुरूषोत्तम सिंह पुत्र रामचरण सिंह
4. पुष्पवाली सिंह पुत्र रामचरण सिंह
   सभी निवासी–ग्राम देवरा, तहसील–
   मैहर, जिला सतना (म.प्र.)
5. म.प्र.शासन

.......अनावेदकगण

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 01-01-2013

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल प्रशासकीय सदस्य श्री मनोज गोयल प्रकरण क्रमांक आर–3692/I/2012 सतना देवेन्द्र सिंह आदि बनाम रामप्रताप सिंह आदि आदेश दिनांक 10–10–2012 नकल प्राप्ति दिनांक 24–12–2012 को प्राप्त।

श्रीमान जी

प्रकरण कमांक रिव्यु 01–एक / 2013 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3692–एक / 2012 में पारित आदेश दिनांक 10–10–2012 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	